ELECTION TO COMMITTEE RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : I beg to move :

> "That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of this Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

CUSTOMS TARIFF (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Next item, Mr. Venkataraman.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN) : I think they have some objections.

MR. CHAIRMAN : First you move.

SHRI R. VENKATARAMAN : I move for leave to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975."

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : पार्लियामेंट का सेशन होने के पहले यह सरकार पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को-आर्डिनेंसों की मदद से चलाना चाहती है और पार्लियामेंट की अवहेलना करने पर तुली हुई है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूँगा कि जहां ये लोग कांग्रेस (आई) की सरकार लिखते है वहा (आई) को और जरा एक गोल दायरे में डाल दे तो समझ में आ जायेगा कि आर्डिनेंसों के द्वारा यह सरकार चलती है। ये अब जो टैरिफ एमेंडमेंट एक्ट 1981 में कर आये है इस पर पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के बाहर अगर ये आर्डिनेंस न लाए तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि पार्लियामेंट की, लोक सभा की इस से देश के लोगों के मन में कीमत बढ़ेगी।

दो सौ परसेंट और 190 परसेंट ड्यूटी इन्होंने खाने के तेलों पर बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें रखा है। पहले जब आर्डिनेंस जारी हुआ था तब उसमें 150 परसेंट ड्यूटी बढ़ी थी। अब इन्होंने 200 परसेंट और 190 परसेंट इसमें बढ़ाने की बात कही है। पुराना जो 1975 का एक्ट है उसमें सब हैडिंग नं० 1501.06 में नं० 1 और 2 में 60 परसेंट और 40 परसेंट ड्यूटी रखी गई थी। इसको अब दो सौ परसेंट कर दिया है। हैडिंग नं० 15.07 में जिसमें—जानवरों की चर्बी और मछली का तेल आदि आते

हैं उसमें नं० 3 और 4 में 60 परसेंट और 50 परसेंट ड्यूटी 1975 के एक्ट में थी और उसको अब ये 200 परसेंट और 190 परसेंट कर रहे हैं। एक दम से ड्यूटी को इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसका क्या कारण था यह हम जानना चाहेंगे। सोयाबीन पर सब हैडिंग नं० 2 के नीचे तीन और चार में सीरियल वाइज जहां 60 परसेंट ड्यूटी थी वहां 200 परसेंट करने का प्रस्ताव किया है और जहां 50 परसेंट थी वहां भी दो सौ परसेंट करने का प्रस्ताव किया है। पाम आयल पर 60 परसेंट थी इसकी जगह 190 परसेंट कर दिया गया है। अब आप यह देखें कि प्राइस इन्डैक्स कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसको बढ़ने से रोकने में आप विफल रहे हैं। 26 जुलाई को आपने आर्डिनेंस जारी किया जिसमें आपने 200 परसेंट ड्यूटी लगाई और तब से आप देखें कि कीमतें किस कद्र बढ़ रही है···

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS SHRI P. VENKATASUBBAIAH : He is going into the merits of the case.

SHRI R. VENKATARAMAN : That does not matter. Let him go ahead.

श्री जगपाल सिंह : आर्डिनेंस के पहले ग्राउण्ड आयल की कीमत थी 14,600 रु० प्रति टन लेकिन आर्डिनेंस आने के बाद उसकी कीमत हो गई 15,300 रु०। आर्डिनेंस के बाद 5 परसेंट आपका प्राइस इन्डैक्स बढ़ा है। इसी तरह से सीड आयल आर्डिनेंस को पहले 13,500 रु० पर टन था जिसकी कीमत बढ़कर 13,700 रु० हो गई। 14,000 टन तेल प्राइवेट ट्रेडर्स का जहाजों से आ रहा था और वह लैंड होने वाला था, लेकिन आर्डिनेंस के आने की वजह से जो उन्होंने ब्लैक मनी उस पर पैदा किया उसको कन्ट्रोल करने के लिये आपने कोई उपाय किया ? नहीं। इसके अलावा 16,000 टन तेल प्राइवेट ट्रेडर्स विदेशों से मंगाने के ठेके दे चुके थे। उससे जो ब्लैक मनी पैदा हुआ उसके बारे में आपने कुछ सोचा ? पामोलिन आयल प्राइवेट ट्रेडर्स ज्यादा पसन्द करते थे क्योंकि इस पर सब से कम ड्यूटी थी। साढ़े 12 परसेंट ड्यूटी देने के बाद 750 डालर प्रति टन के हिसाब से खरीदते रहे जिसकी कीमत 7,500 टन बनती थी, और आर्डिनेंस आने के बाद उसकी कीमत 18,000 रु० प्रति टन हो गई है। पिछले दिनों में आर्डिनेंस की वजह से प्राइस बढ़ी है, खासतौर से घी की जो कि पहले 170 रु० पर टिन मिलता था लेकिन आर्डिनेंस के बाद 211 रु० से 230 रु० पर टिन बिक रहा है। मैं 200 परसेंट पर इसलिए ला रहा हूं कि क्या इस मुल्क के लोगों को आर्डिनेंस के बाद आपने गारन्टी दी है कि यह 200 परसेंट की ड्यूटी प्राइवेट ट्रेडर्स को देनी पड़ेगी न कि उपभोक्ताओं को ? हो यह रहा है कि उपभोक्ताओं पर ही इसका भार पड़ा है। जो प्राइवेट ट्रेडर्स खाने का तेल ला रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की आपने कोई व्यवस्था की है ? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिये आपने क्या किया है ? ज्यादातर तेल 200 परसेंट ड्यूटी लगने के बाद भी ब्लैक मार्केट में जायेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिये जो सरकार की नीति है आर्डिनेंस ला कर के कीमतें बढ़ाना यह देश के लोगो के हित में नहीं रहता। आज लोग महंगाई से तबाह हो चुके हैं। और आप लगातार कैपिटलिस्टों को छूट दे रहे हैं कि मनमाने ढंग से ट्रेड करें। यह

सरकार कीमतें रोकने में निकम्मी साबित हुई है। अगर इस देश के लोगों को कत्ल करना है तो फिर धीरे-धीरे हलाल न किया करें। इस तरीके को आप रोकें।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Chairman, Sir, as you have yourself observed the objection is more to the merits of the Bill rather than to its introduction. But since the Hon. Member labours under a mis-apprehension I would like to explain the position. Originally the import of edible oils was under OGL and traders were free to import. Government found that they were exploiting the market and therefore we deprived the traders of the OGL and canalised the import through STC. When we canalised through STC some of the traders manipulated contracts saying, we have entered into contracts prior to the date of canalisation by the STC, and therefore, they said they are entitled to import. We said that unless it is registered with the Import Controller, this cannot be accepted. Nevertheless they went to Court and got an order saying that in respect of those contracts which had been entered into earlier, they are entitled to import. Government found that the difference between the CIF price and the market price is somewhere about 7 to 8 thousand rupees and if the private traders were allowed to import under the CIF, then, they would make a killing of 7 to 8 thousand rupees per tonne. Therefore Government said, we will increase the import duty and if they imported they will have to pay this heavy duty. The import duty under the customs tariff, the statutory rates, was only 60 per cent. Since this did not cover the difference between the market price and CIF price, Government had to come by way of an ordinance to raise it to 200 per cent so that none of these people who manipulate contracts will be able to import this. This is the position. I am only sorry that his eloquence increases in geometrical proportion with a lack of knowledge on the subject.

MR. CHAIRMAN: the question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975."

THE MOTION WAS ADOPTED

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I introduce* the Bill.

STATEMENT RE-CUSTOMS TARIFF (AMENDMENT) ORDINANCE, 1981.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Customs Tariff (Amendment) Ordinance, 1981.

---

*Introduced with the recommendation of the President.